



पत्र संख्या-न0नि0 50-28/2025-2905

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा, (भा0प्र0से0)
सचिव।

सेवा में,

सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 26.06.2025

विषय :- नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 : निर्वाचित प्रतिनिधियों का नाम राजकीय गजट में प्रकाशन के संबंध में।

प्रसंग :- आयोग का पत्रांक 2904 दिनांक 26.06.2025
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 35 के अंतर्गत नगरपालिका के पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का नाम राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात ही नगरपालिका की प्रथम बैठक संपन्न की जानी है। इसलिए आवश्यक है कि निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का नाम राजकीय गजट में शीघ्रताशीघ्र प्रकाशित हो जाय।

उल्लेखनीय है कि 06 नगरपालिकाओं का आम निर्वाचन एवं 48 नगरपालिकाओं के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रियाएँ दिनांक 30.06.2025 को पूरी कर ली जाएगी। नगरपालिका के निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद को शपथ कराया जाना है। आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को मतगणना संपन्न होने के अगले दिन निकायवार निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का नाम नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराने एवं उसकी एक प्रति आयोग को भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ताकि विभाग द्वारा निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का नाम राजकीय गजट में ससमय प्रकाशित किया जा सके एवं नगरपालिका की प्रथम बैठक समय सीमा के अंदर संपन्न की जा सके।

उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार नगरपालिका नियमावली, 2007 (यथासंशोधित) के नियम 87 के आलोक में नगरपालिका के निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का नाम **यथाशीघ्र अधिकतम दिनांक 07.07.2025 तक** राजकीय गजट में प्रकाशित कर उसकी प्रति आयोग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50-28/2025- 2905

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (नगरपालिका) (नवादा, औरंगाबाद, शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज, शेखपुरा एवं जमुई को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक न0नि0 50-28/2025- 2905

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

सचिव।